FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

चांद मोहम्मद वगैराह बनाम अब्दुल लतीफ वगैराह

किस्म मुकदमा अर्न्तगत धारा 88,89,92,188 RTA 102/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	11/8/25 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शहाबुद्दीन ने यह वाद पेश किया हैं जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/9/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर	
	आज दिनांक 16/9/25 को जिला / राजस्व बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनांक 13/10/25 को पेश हो। प्रतिवादी क्र० 1 की ओर से वकील श्री सलमान खान ने U/T पेश की। आदेशानुसार [signature] न्यायालय पेशकार (रीडर) सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर	U/T प्रतिवादी 1 Salman Adv (सलमान खान एड.) अ फिल...
6/10/25	वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण के जरिये वकील शीघ्र सुनवाई प्रार्थना-पत्र व प्रार्थना-पत्र बाबत प्रकरण वाद डिग्री करने पर पत्रावली हमारे तलब करने पर आज पेश हुई। वकील वादीगण के निवेदन पर उन्हें सुना प्रकरण वाद डिग्री करने बाबत प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना-पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध लगाये सभी प्रत्यारोप वापस लेते हुए प्रतिवादी अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल मजीद के मालिकाना हक को स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में वादीगण व उनके	चांद मोहम्मद जमील मोहम्मद Identify by Adv Shah... 6/10/25 शहाबुद्दीन

[signature]
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

अजमेर वाद सं० 104/2025

यांड मौहम्मद वगै० बनाम अब्दुल लतीफ व०
धारा - 88, 89, 92, 188 RTA

वादीगण ग्राम गेगल, तहसील अजमेर स्थित वादग्रस्त अराजी खसरा संख्या 522, 523, 531 व 554 के सम्बन्ध में कोई मालिकाना हक नहीं जतायेंगे। वादीगण वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुये वाद को इसी स्तर पर अदम पैरवी निरस्त करने के आदेश पारित करावें। अपने कथनों की पुष्टि में वादीगण ने आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादीगण को उनके वकील श्री शहाबुद्दीन खान ने पहचान कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये।

हमने प्रार्थना-पत्र में लिखित कथनों व सुनवाई के दौरान अंकित कथनों/तथ्यों पर मनन किया। चूंकि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, प्रस्तुत वाद में किसी अनुतोष की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थना-पत्र-पक्षहित में स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर इसी दर से विड्रॉ किये जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र दर्ज फैसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर